न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 89/2010–11

राज्य वनाम उमेश चौधरी

आदेश

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के पत्रांक 542–1 सपत्र दिनांक– 10.08.2010 से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया।

आरोप है कि दिनांक– 01.08.2010 की रात्रि 10.00 बजे बलवा और पहाड़पुर मोड़ के बघवा के पास जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत– कठडुमर अनुज्ञप्ति संख्या– 58/08 उमेश चौधरी को एस०एफ०सी० गोदाम से उठाव किये गये 101.50 क्वींटल उसना चावल के साथ कालाबाजारी के उद्धेश्य से ले जाते समय पकड़ा गया और इस मामले में बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या– 202/10 दिनांक– 02.08.2010 दर्ज करायी गयी ।

प्रतिवादी उमेश चौधरी को नोटिश निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग की गयी । प्रतिवादी उमेश चौधरी ने काफी विलम्ब से दिनांक– 16.07.2012 को कारण–पृच्छा दाखिल कर कहा है कि वे कठडुमर पंचायत के जन वितरण प्रणाली दूकानदार हैं। दिनांक– 31.07.2010 को एस०एफ०सी० गोदाम से चावल का उठाव कर ट्रक से ला रहे थे। ट्रक के खराब हो जाने पर उसकी मरम्मती करवाने के उपरान्त बघवा पहाड़पुर मोड़ पहूँचा। बघवा पहाड़पुर मोड़ से कठडुमर जाने का ट्रक का रास्ता नहीं है चूँकि रास्ता संकीर्ण है। विक्रेता ट्रेक्टर टेलर लाये ताकि उस पर चावल लादकर कोशी नदी के किनारे तक पहुँच सके जहाँ से उन्हें नाव पर चावल लादकर नदी पार करना है और इसलिए चावल ट्रक से उतारकर ट्रेक्टर पर लादा जा रहा था कि पुलिस पहुँच गयी। पुलिस की अनुचित मांग पुरी नहीं किये जाने पर पुलिस उक्त खाद्यान्न जप्त कर लिया। उक्त जप्त चावल रामदेव सादा डीलर को दिया गया था। रामदेव सादा डीलर द्वारा कठडुमर पंचायत के उपभोक्ताओं के बीच जप्त चावल का वितरण कर दिया गया है तथा राशि नजारत में जमा कर दी गयी। इस तरह प्रतिपक्षी पर चावल कालाबाजारी में बेचने का आरोप सर्वथा गलत है।

अग्रतर इस मामले में अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में चल रहे विशिष्ठ वाद संख्या– 4/10 विचारण संख्या– 1112/14 में दिनांक– 21.2.2014 को पारित आदेश की छाया प्रति उपस्थापित की गयी है। उक्त वाद में अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा अभियुक्तगण को निर्दोष करार देते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जा चुका है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

चूँकि पूर्ण विचारोपरान्त अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिवादी को दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अधिग्रहण वाद drop (ड्राप) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एव शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1422-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनाक– 15वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 14/7/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

15-7-14

18/7/14
17